कार्यालय–प्राचार्य इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया

विकासखंड–पण्डरिया, जिला–कबीरधाम (छ0ग0), महाविद्यालय कोड–2003

Email – pandariacollege@gmail.com, Website- igcollegepandaria.ac.in

Accredited "B" Grade By NAAC (CGPA Retting 2.39)

क्रमांक/243/स्था./अतिथि व्याख्याता/2025–26 पण्डरिया दिनांक 29/07/2024

अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु

कार्यालय आयुक्त उ.शि. संचालनालय रायपुर का पत्र क्र. 289/1/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर दिनांक 23/07/2025 के परिपालन में इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला–कबीरधाम (छ.ग.) में निम्नलिखित विषय एवं अन्य पद में अध्यापन के व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षक सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 08/08/2025 को समय 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिये न्युनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षको और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानको के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण, के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचति जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन क्रिमिलियर) एंव दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा :– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष एवं क्रीडाधिकारी व ग्रंथपाल हेतु अधिकतम 62 वर्ष।
3. छ.ग. के मूल निवासी अभ्यर्थियो को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदो का विवरण

क्रमांक	विषय/पद	रिक्त पद			
		प्राध्यापक	सहा. प्राध्यापक	क्रीडाधिकारी	ग्रंथपाल
01	अंग्रेजी	–	01	–	–
02	क्रीडाधिकारी	–	–	01	–
03	ग्रंथपाल	–	–	–	01

टीपः– संबंधित विषयो में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थनांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते :–

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी–एच.डी. एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करे।

02. दिनांक 08/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है। प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय मे प्राप्त आवेदनो पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

क्रमशः 02

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट **http://www.igcollegepandaria.ac.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

05. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवाये भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा।

06. (अ) अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतन मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

(ब) अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत क्रीडाधिकारी एवं ग्रंथपाल का मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि क्रीडाधिकारी /अतिथि ग्रंथपाल	अतिथि क्रीडा सहायक /अतिथि ग्रंथपाल सहायक
1	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/ (40,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/ (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

07. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय पण्डरिया, जिला-कबीरधाम, (छ.ग.)** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

08. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किये गये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य का महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।

09. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

10. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।

11. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, छात्रसंघ, चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधिया, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक/मूल्यांकन संबंधी कार्यो में सहयोग प्रदान करेंगे।

12. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायते प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रो में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होगें।

13. विज्ञापन में किसी भी विवाद की स्थिति में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

नोट :- सभी नियम एवं शर्ते अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुरूप होगी।

प्राचार्य
इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय
पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)